मध्यप्रदेश शासन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 3–1/2006/56/ भोपाल, दिनॉक 23/9/2008

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव,
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
मध्यप्रदेश शासन के
समस्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल ।

2. समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

3. समस्त आयुक्त,
मध्यप्रदेश।

4. समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषयः– शासकीय कम्प्यूटरों को अवांछित संचार से सुरक्षित करने बावत ।

राज्य शासन ने विभिन्न परियोजनाओं के तहत कार्यालयों में कम्प्यूटर स्थापित किये हैं । अधिकतर कम्प्यूटर इन्टरनेट से जुड़े हैं एवं इनके माध्यम से ई–मेल का आदान–प्रदान, सर्फिंग आदि किया जा सकता है । आवंटी यदि कम्प्यूटर के आस–पास उपस्थित नही है एवं कम्प्यूटर असुरक्षित है तो अवांछित तत्व कम्प्यूटर का अनाधिकृत मेल भेजने, हैकिन्ग करने एवं डाटा चोरी करने के लिए उपयोग कर सकते हैं एवं इस मेल के कारण यदि कोई अपराध हो तो होने वाले अपराध की जिम्मेदारी संबंधित कम्प्यूटर आवंटी की हो जाएगी । शासकीय कम्प्यूटरों का अनाधिकृत उपयोग रोकने के लिए निम्नानुसार सुझाव दिये जाते हैं :–

कम्प्यूटर के बायोस पर पासवर्ड डाला जाये । इसके लिए बूट सीक्वेंस में आपरेटिंग सिस्टम चालू होने के पहले बायोस के लिए स्कीन पर फंक्शन बटन (आम तौर पर F9 अथवा F10) बटन दबाये तथा पासवर्ड के लिए स्कीन पर पासवर्ड भरें एवं कन्फर्म करें । पासवर्ड के लिए निम्न बातों का विशेष ध्यान रखा जाये :–

a. पासवर्ड आपका नाम अथवा आपके परिचितों का नाम नहीं होना चाहिये ।
b. पासवर्ड साधारण डिक्शनरी के शब्द नहीं होना चाहिये ।
c. पासवर्ड में कम से कम एक अल्फा–न्यूमेरिक या विशेष कैरेक्टर (! @ $ # आदि) होना चाहिए। पासवर्ड न्यूनतम आठ अक्षरों अथवा उससे अधिक का होना चाहिये ।
d. पासवर्ड सामान्यतः हर माह परिवर्तित करना चाहिये ।

2. बायोस पासवर्ड के बाद कम्प्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम का पासवर्ड होना चाहिये । कम्प्यूटर पर एक यूजर होना चाहिये एवं इसका उपयोग पासवर्ड के बाद ही संभव होना चाहिये । पासवर्ड के लिये कंडिका-1 में दिये गए निर्देशों का पालन यहाँ भी किया जाना चाहिये । इसके लिए पत्र के साथ स्क्रीन शॉट एवं आवश्यक निर्देश दिये गए हैं कृपया इनका पालन सुनिश्चित करें ।
3. यूजर के रूप में लॉग-इन करने के बाद कम्प्यूटर कई बार खुला छोड़ दिया जाता है । इसके लिए स्क्रीन सेवर के लिये पासवर्ड लागू किया जाना चाहिये । पासवर्ड मे कंडिका-1 मे दिये गए निर्देशों का पालन किया जाना चाहिये । पत्र के साथ स्क्रीन शॉट एवं आवश्यक निर्देश दिये गए हैं ।
4. आउटलुक पर ई-मेल को कानफिगर करते समय सुनिश्चित करें कि इसका पासवर्ड के लिये remember password का ऑप्शन इनेबिल्ड नहीं किया जाना चाहिये अन्यथा आपके अकाउन्ट को उपयोग कर अवांछित ई-मेल भेजे जा सकते है ।
5. गूगल, हॉटमेल, याहू आदि ई-मेल आईडी. का उपयोग करते समय ब्राउज़र पर रिमेम्बर पासवर्ड के ऑप्शन का उपयोग किसी भी परिस्थिति में नहीं करें अन्यथा इसके माध्यम से आपकी जानकारी के बगैर भेजे जाने वाले ई-मेल की जिम्मेदारी आप पर आ सकती है ।

उपरोक्त कार्यों के लिए सहायता स्वरूप स्क्रीन शॉट एवं विस्तृत निदेश संलग्न है । कृपया इस संबंध में तत्काल कार्यवाही करने के साथ-ही आपके अधिनस्थ कार्यरत समस्त निगम मंडलों/स्थानीय निकायों/विश्वविधालयों/संस्थानों को उपरोक्त सुझावों पर अमल करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ।

संलग्न- उपरोक्तानुसार ।

(अनुराग श्रीवास्तव)
उपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ-3-1/2006/58 भोपाल, दिनांक 13/5/2009

प्रतिलिपि:-

1. श्री सतनाम सेठी, मुख्य परिचालन अधिकारी, एम.पी. ऑन लाईन लिमिटेड कृपया निर्देशों को स्टेट पोर्टल पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

उपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग